IV 206/2016 307

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

मुख्य कोषाधिकारी फैजाबाद (उ.प्र.)

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 903501

न्यास–पत्रक

न्यास का नाम– ''श्री राम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट''

न्यास का प्रधान कार्यालय– म.नं. 5/3/17, मो. तुलसीनगर कालोनी–बेगमपुरा, शहर–अयोध्या, जिला–फैजाबाद

न्यास का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष

मंशाराम सिंह पुत्र स्व. श्रीराम सिंह म.नं. 5/3/17, मो.तुलसीनगर कालोनी–बेगमपुरा, शहर–अयोध्या, जनपद–फैजाबाद द्वारा दिनांक 15.10.2016 को निष्पादित **श्री राम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट, तुलसीनगर, अयोध्या, जिला–फैजाबाद** के न्यास और न्यासीगण की नियुक्ति का यह घोषणा–पत्र साक्षी है।

इस प्रयोजन हेतु अयोध्या, फैजाबाद एवं ग्राम–पिपरी सैदपुर, पोस्ट–बलया जगदीशपुर, तह. –टाण्डा, जिला–अम्बेडकरनगर के समाज के सम्मानित समाजसेवियों, सहयोगियों, दानियों, जीव–जन्तु प्रेमियों की एक बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि समाज व मानव–जीवन के विकास, सहायता, सहयोग, बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य–शिक्षा हेतु एक अनुपम श्रेष्ठ, सुन्दर, व्यवस्थित न्यास का गठन हो। तदनुसार इस कार्य को पूरा करने का दायित्व व धर्मभार मुझे प्राप्त हुआ। मैं वर्तमान में **अयोध्या** में निवास कर रहा हूँ। अपने पिता व माता तथा पूर्वजों की कृपा व स्नेह व उनके द्वारा दिये गये संस्कार व शिक्षा के फलस्वरूप मेरी स्वतः की ऐसी इच्छा रही है कि पिता जी की स्मृति में एक ट्रस्ट बनाकर इस

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

मुख्य कोषाधिकारी फैजाबाद (उ०प्र०)

19 SEP 2010

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH DB 903502

नश्वर संसार के मानव–समाज व अन्य जीव–जन्तुओं के विकास, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक (सेकेण्डरी), उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सेकेण्डरी), स्नातक एवं परास्नातक तक की उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, शिक्षक–प्रशिक्षण, चिकित्सा शिक्षा, प्रबन्धकीय शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान इन्जीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज एवं शोध–संस्थान, कृषि शिक्षा, सेवा, सहयोग, सहायता के लिए योजनानुसार सुन्दर यथोचित न्यास की व्यवस्था की जाय, जो निरन्तर अबाध रूप से चलती रहे। अतः मैं इस न्यास पत्रक द्वारा उपर्युक्त कार्यों, प्रयोजनों व अन्य अनेक उद्देश्यों व प्रयोजनो, जिनका विवरण आगे इस पत्रक में विस्तारपूर्वक वर्णित है, के निमित्त इस न्यास के न्यासीगण को मनोनीत कर/नियुक्त कर, जिनका नाम आगे इस न्यास–पत्रक मे विदित है। **''श्री राम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट''** नामक उपरोक्त न्यास की घोषणा करके स्थापना करता हूँ।

न्यास का उद्देश्य एवं प्रयोजन

(1) मानव–समाज के विकास के लिए सामान्य शिक्षा, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक (सेकेण्डरी), उच्चतर माध्यमिक (सीनियर सेकेण्डरी), स्नातक एवं परास्नातक तक की उच्च शिक्षा, शिक्षक–प्रशिक्षण (टीचर्स ट्रेनिंग) इन्स्टीट्यूट, आधुनिक तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, ग्रामीण तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध व शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा व प्रबन्धकीय शिक्षा के लिए स्कूल, शिक्षण–संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व शोध–संस्थान खोलना, उनका प्रबन्ध करना एवं अनाथ,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DB 903503

गरीब असहाय, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधा प्रदान करना तथा योग्य प्रतिभावान् विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(2) मानव–समाज के जीवन–रक्षा हेतु भारत सरकार व प्रदेश सरकार के सहायता द्वारा अत्याधुनिक औषधालयों/चिकित्सालयों की स्थापना व संचालन तथा उसमें समाज के लाचार, गरीब, असहाय, निराश्रित लोगों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा–व्यवस्था, दवा की सुविधा प्रदान कर सेवा करना तथा असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों की हर सम्भव मदद करना।

(3) समाज के सभी वर्गों के असहाय गरीब, निराश्रित वृद्ध व विधवाओं तथा बच्चों के आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा की व्यवस्था, संरक्षण गृहों की स्थापना व प्रबन्ध करना।

(4) वर्ल्ड बैंक, सिप्सा, राष्ट्रीय एड्स कण्ट्रोल सोसाइटी द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों हेतु इनसे सहयोग प्राप्त कर जनमानस को लाभान्वित करना।

(5) विकलांग व नेत्रहीनों के लिए हर प्रकार की हर सम्भव नि:शुल्क सेवा व सहायता करना।

(6) बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं उसका संचालन कर प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार करना।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146741

(7) कुष्ठ रोगियों के लिए आवास, वस्त्र, चिकित्सा व औषधि की निःशुल्क व्यवस्था कर सेवा व सहायता करना।

(8) गरीब व मलिन बस्तियों तथा आदिवासियों के विकास के लिए उनकी हर प्रकार की सेवा, सहायता करना।

(9) प्रकृति द्वारा स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर जीवों के लिए उपलब्ध सभी ज्ञात/अज्ञात वस्तुओं, चीजों, स्थानों, वृक्षों, औषधीय वनस्पतियों का संरक्षण, सुरक्षा, शोध तथा प्रचार–प्रसार करना।

(10) पर्यावरण–प्रदूषण को समाप्त करने एवं उन्नतिशील कृषि, पशुपालन हेतु समाज को जागृत करना, इसके लिए शिक्षण, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(11) विधवा–विवाह व दहेज रहित विवाह तथा सामूहिक विवाह के लिए समाज का प्रोत्साहन करना।

(12) साहित्यकारों, कवियों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों, चित्रकारों या अन्य प्रकार के कलाकारों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।

(13) प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, तूफान, चक्रवात, सूखा, अग्नि आदि से ग्रसित क्षेत्र के लोगों की प्राथमिक उपचार सहित जीवनोपयोगी व जीवन रक्षक हर प्रकार की सुविधा व सहायता निःशुल्क प्रदान करना।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146742

(14) राष्ट्रीय आपदा में राष्ट्रहित में हर सम्भव कार्य करना, इसके लिए समाज को प्रोत्साहित करना।

(15) मानव–जीवन के अतिरिक्त पृथ्वी पर पाये जाने वाले जीवधारियों पशु–पक्षी, पेड़ व जानवर चाहे वे वन्य जीव–जन्तु हों या जल में रहने वाले हों उनकी रक्षा, संरक्षण करना तथा उनको विनाश से बचाना तथा उनके बारे में शोध करना और मानव–जीवन के विकास में उनके योगदान के बारे में लोगों को जानकारी देना।

(16) गौ–शाला चलाना तथा गाय के संरक्षण व संवर्धन हेतु हर सम्भव प्रयास करना।

(17) अपने उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल–अचल सम्पत्ति का उपार्जन करना, उसकी देख–रेख व सुरक्षा हेतु अनिवार्य सामग्री को प्राप्त करना, उसका उपयोग व प्रयोग करना।

(18) ट्रस्ट के उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे सभी कार्यों को करना जो व्यवहार जगत् में आवश्यक व सहायक हो।

मैं **मंशाराम सिंह 'श्रीराम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट'** का **प्रथम एवं प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष** रहूँगा और तब तक रहूँगा जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से इस न्यास के कार्य–निर्वाह में असमर्थ न हो जाऊँ। इस सेवा के कार्य निष्पादन में मुझे सहायता–सहयोग एवं सलाह देने के लिए जो न्यासी मनोनीत कर नियुक्त किये गये हैं, उन्हें इस पत्रक द्वारा इस न्यास का स्थायी न्यासी घोषित एवं नियुक्त

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146743

किया जाता है और यह तब तक स्थायी न्यासी रहेंगे जब तक कि किसी रोग या मृत्यु से न्यास के कार्य–निर्वाह में असमर्थ न हो जायँ या सहयोग देना स्वेच्छ से बन्द न कर दें। **<u>स्थायी न्यासी एवं पदाधिकारियों के नाम पते</u>** अग्रलिखित हैं–

क्र.सं.	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	मंशाराम सिंह पुत्र स्व. श्रीराम	वर्तमान पता : म.नं. 5/3/17, मो. तुलसीनगर कालोनी–बेगमपुरा, अयोध्या, जि. फैजाबाद मूल निवासी : ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो. बलया जगदीशपुर, तहसील–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर	प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष
2.	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र श्रीमंशाराम सिंह	वर्तमान पता : म.नं. 5/3/17, मो. तुलसीनगर कालोनी–बेगमपुरा, अयोध्या, जनपद–फैजाबाद मूल निवासी : ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, तहसील–टाण्डा जनपद–अम्बेडकरनगर	मन्त्री/प्रबन्धक
3.	श्री अजय कुमार पुत्र स्व. श्रीराम	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जनपद–अम्बेडकरनगर	कोषाध्यक्ष
4.	श्री गौरीशंकर पुत्र स्व. श्रीराम	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जन.–अम्बेडकरनगर	न्यासी

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146744

5.	श्री शिवशंकर पुत्र स्व. श्रीराम	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जन.–अम्बेडकरनगर	न्यासी
6.	श्री संजय कुमार पुत्र स्व. श्रीराम	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जन.–अम्बेडकरनगर	न्यासी
7.	श्री सुनील कुमार पुत्र स्व. श्रीराम	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जन.–अम्बेडकरनगर	न्यासी
8.	श्री दिनेश चन्द्र पुत्र स्व. श्रीराम	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जन.–अम्बेडकरनगर	न्यासी
9.	श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी मंशाराम सिंह	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जन.–अम्बेडकरनगर	न्यासी
10.	श्री उत्कर्ष सिंह पुत्र मंशाराम सिंह	ग्राम–पिपरी सैदपुर, पो.–बलया जगदीशपुर, जन.–अम्बेडकरनगर	न्यासी

इस प्रकार ''**श्री राम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट**'' में उक्त सभी क्रमांक 1 से 10 तक स्थायी न्यासी होंगे। उपर्युक्त सभी संस्थापक न्यासी होंगे जो आजीवन इस न्यास में स्थायी न्यासी रहेंगे।

''**श्री राम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट**'' के उद्देश्यों व प्रयोजनों की पूर्ति हेतु उसके विभिन्न कार्यों के संचालन व प्रबन्ध हेतु तथा दैनिक कार्यों व व्यवस्था हेतु इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी **प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष, मन्त्री/प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष** होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये रु.50
FIFTY RUPEES Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BF 146745

मैं **मंशाराम सिंह** इस ट्रस्ट का **प्रथम प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष** रहूँगा तथा **श्री ज्ञानेन्द सिंह, मंत्री/प्रबन्धक** एवं **श्री अजय कुमार, कोषाध्यक्ष** रहेंगे। जो आजीवन अपने उक्त पदों पर बने रहेंगे। अध्यक्ष, मंत्री व कोषाध्यक्ष न्यासी गण के द्वारा निर्णयों एवं निर्देशों के तहत न्यास के कार्यों को करेंगे तथा उसकी देख–भाल करेंगे।

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की नियुक्ति– इस न्यास–पत्रक द्वारा नियुक्त पदाधिकारी अध्यक्ष/प्रमुख न्यासी, मन्त्री/प्रबन्धक एवं कोषाध्यक्ष अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे। इनमें से किसी की मृत्यु हो जाने, त्याग–पत्र देने या किसी रोग से ग्रसित होकर असमर्थ हो जाने पर, उसे अपने स्थान पर अपने जीवनकाल में अपने परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को न्यासी मनोनीत/नामित करने का अधिकार होगा। मनोनीत/नामित न्यासी रिक्त पद ग्रहण कर लेगा, यदि किसी न्यासी ने ऐसा नहीं किया है, तो शेष बचे न्यासी गण सर्वसम्मत व बहुमत के निर्णय से अपने में से किसी भी न्यासी को उक्त पदों पर पदाधिकारी नियुक्त करेंगे।

ट्रस्ट के न्यासीगण की नियुक्ति– इस न्यास–पत्रक द्वारा नियुक्त **सभी न्यासी गण इस न्यास के स्थायी न्यासी** होंगे। **उन्हें अपने जीवन काल में अपने स्थान पर न्यासी नामित/मनोनीत करने का अधिकार होगा, लेकिन वे अपने मूल पैतृक परिवार के ही किसी योग्य व्यक्ति को अपने स्थान पर**

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146746

अध्यक्ष की अनुमति से नामित/मनोनीत कर सकेंगे। कभी भी कोई न्यासी–संस्थापक प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष एवं अन्य संस्थापक न्यासी के मूल पैतृक परिवार के अलावा किसी अन्य बाहरी परिवार से नहीं रखे जायेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो किसी न्यासी का स्थान रिक्त होने पर शेष बचे न्यासीगण मृतक न्यासी के परिवार के किसी योग्य व्यक्ति का सर्वसम्मत व बहुमत से प्रस्ताव पास कर अध्यक्ष की अनुमति से नियुक्ति भविष्य में कर सकेंगे। यदि उस न्यासी के परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो शेष न्यासी गण अपने परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को सर्वसम्मत या बहुमत से प्रस्ताव पारित कर न्यासी नियुक्त करेंगे। सभी न्यासी के लिए आवश्यक होगा कि वे हिन्दू धर्म को मानने वाले हों और ट्रस्ट के कार्यों, प्रयोजनों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हितकर हो एवं संस्थापक प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष एवं अन्य संस्थापक न्यासी के मूल पैतृक परिवार के हों इससे बाहर के न हों।

ट्रस्ट के न्यासीगण की सदस्यता समाप्ति– न्यास के न्यासी गण की सदस्यता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जायेगी– उनके त्याग–पत्र देने पर, मृत्यु होने पर, ट्रस्ट के हित के प्रतिकूल कार्य करने पर, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध घोषित होने पर।

ट्रस्ट की बैठक–

(1) ट्रस्ट की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी जो ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय पर होगी या

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146747

इसके अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी होगी, जहाँ ट्रस्टीगण निश्चय करें। बैठक की लिखित सूचना अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री/प्रबन्धक द्वारा एक सप्ताह पूर्व सभी न्यासीगण को उचित माध्यम जो उपलब्ध व उपयुक्त हो, दी जायेगी।

(2) बैठक में न्यासीगण की गणपूर्ति की संख्या 6 की होगी। अध्यक्ष को गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित करने का अधिकार होगा। स्थगित बैठक में उपस्थित न्यासीगण अध्यक्ष की अनुमति पर निर्णय ले सकेंगे, जो सर्वमान्य होगा।

(3) न्यास की वार्षिक बैठक में वर्ष भर का ट्रस्ट का आय–व्यय का लेखा–जोखा मन्त्री/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट का बजट बनाकर बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा तथा ट्रस्टियों से पास कराया जायेगा।

(4) न्यास के आय–व्यय का लेखा–जोखा व बजट को देखने का अधिकार सभी न्यासीगण को होगा।

(5) न्यास की बैठक में उपस्थित सभी न्यासीगण के सर्वसम्मत या बहुमत से सभी निर्णय किये जायेंगे, जो सर्वमान्य होंगे। मत–विभाजन की स्थिति में प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष को

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BF 146748

एक विशेष मत देने का अधिकार होगा तथा वही निर्णायक होगा।

(6) न्यास की वार्षिक बैठक के अतिरिक्त किसी आकस्मिक बैठक को भी अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री आहूत करेगा, जिसमें दिनांक, समय व स्थान का उल्लेख होगा।

(7) न्यास की वार्षिक बैठक में सभी न्यासीगण का आना अनिवार्य होगा। न्यासी गण अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा वे केवल तीन बार कर सकते हैं, चौथी बैठक में उन्हें स्वयं उपस्थित होना आवश्यक होगा। प्रतिनिधि न्यासीगण के परिवार का ही होगा।

(8) किसी न्यासी या न्यास के पदाधिकारी की मृत्यु पर या अन्य स्थिति में उनका स्थान रिक्त होने पर न्यास की आकस्मिक बैठक कर नये न्यासी व पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

(9) इस न्यास-पत्रक द्वारा नियुक्त न्यासीगण तथा पदाधिकारियों के अतिरिक्त भविष्य में जो न्यासीगण व पदाधिकारी नियुक्त होंगे वे अपने पद पर आजीवन बने रहेंगे, जब तक उपर्युक्त कारणों से उनकी न्यास की सदस्यता समाप्त न हो जाय।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146749

प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य– प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष न्यास के सभी कार्यों का पूर्ण नियन्त्रण व संचालन का अधिकारी होगा, जिसके आदेशों का पालन करना सभी पदाधिकारियों व न्यासीगण को मान्य होगा। अध्यक्ष न्यास की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुमति से मन्त्री/प्रबन्धक न्यास की वार्षिक बैठक या अन्य बैठकों को आहूत करेगा। प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष को न्यास की बैठकों में मत–विभाजन/समान मत की स्थिति में अपना एक विशेष मत देने का अधिकार होगा, जो सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा। न्यास के अध्यक्ष को न्यास के नाम कोई भी सम्पत्ति खरीदने या आवश्यकता पड़ने पर बेचने का अधिकार होगा जो बहुमत के आधार पर न्यास के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

मन्त्री/प्रबन्धक के अधिकार तथा कर्तव्य– मन्त्री/प्रबन्धक न्यास द्वारा अपनी बैठकों में लिये गये सभी निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा। न्यास के अभिलेखों को तैयार करेगा तथा उनका रख–रखाव करेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं, कार्यों व व्यवस्थाओं पर निगरानी रखेगा तथा प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष के अनुसार न्यास की बैठकों को आहूत करेगा। न्यास की बैठकों में लिये गये निर्णयों तथा प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष के आदेशों, निर्देशों का क्रियान्वयन व परिपालन करेगा। प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष की

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146750

अनुमति से मन्त्री/प्रबन्धक को प्रतिनिधि के रूप में पत्र–व्यवहार करने व सभी सरकारी कार्यालयों/संस्थानों एवं न्यायालयों के कार्यों को करने का अधिकार होगा।

कोषाध्यक्ष का अधिकार–कर्तव्य– कोषाध्यक्ष न्यास के सम्पूर्ण सभी आय–व्यय का लेखा–जोखा रखेगा तथा उससे न्यास के पदाधिकारियों व न्यासीगण को अवगत करायेगा। बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से न्यास के खातों का स्टेटमेण्ट एकाउण्ट प्राप्त करेगा। न्यास निधि की अभिरक्षा करेगा।

इस प्रकार न्यास के **प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष**, **मन्त्री/प्रबन्धक** एवं **कोषाध्यक्ष** न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक में लिये गये निर्णयों का क्रियान्वयन या पूर्ति करेंगे तथा न्यास की सारी व्यवस्था करेंगे।

कर्मचारी रखने/नियुक्त करने व हटाने का अधिकार– प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष की अनुमति से **मन्त्री/प्रबन्धक** को अपने न्यास के विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों व कार्यों के सम्पादन/संचालन के लिए अपने द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों को रखने व कार्यमुक्त करने का अधिकार होगा।

न्यास का खाता– न्यास का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में **प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष, मन्त्री/प्रबन्धक** व **कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से खोला जायेगा** जिसका संचालन इनमें से किसी **दो के हस्ताक्षर** से होगा, लेकिन **प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।** किसी दशा में न्यास की

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146751

किसी भी सम्पति को किसी न्यासी या न्यास के किसी पदाधिकारी को अपने निजी काम में रखने या कोई धनराशि उक्त लोगों द्वारा अपने स्वयं के नाम से जमा करने का अधिकार नहीं होगा।

न्यास की आय का साधन– (1) उपहार, दान, अनुदान से प्राप्त धनराशि, वैभव, वसीयतनामा या अन्य लेख–पत्र से प्राप्त चल–अचल सम्पत्तियाँ या धनराशि, न्यास की अपनी सेवाओं या न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं से प्राप्त सम्पत्ति, न्यास को अपनी विशेष निधियाँ रखने का अधिकार होगा। न्यास को प्राप्त सभी धनराशि न्यास की सम्पत्ति होगी।

न्यास की नियमावली में संशोधन– प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष एवं न्यासीगण अपने पूर्ण बहुमत से न्यास की नियमावली में संशोधन कर सकेंगे।

न्यास की वर्तमान निधि– मैं **मंशाराम सिंह** पुत्र स्व. श्रीराम जो कि इस न्यास–पत्रक का निष्पादी तथा इस न्यास का **प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष** हूँ। मैंने इस न्यास की निधि के सृजन में **5100/– नकद प्रदान कर दिया है, जो इस न्यास की स्थायी निधि होगी।** इसके अतिरिक्त अन्य किसी परिस्थिति में भारतीय न्यास अधिनियम के प्राविधान लागू होंगे।

मैंने इस न्यास–पत्रक में वर्णित उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं/विधियों को भली प्रकार सोच–समझकर स्वस्थ चित्त व स्वतन्त्र मन, बुद्धि से आरोग्यता की स्थिति में रहकर इस न्यास का गठन किया है, जिसका

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BF 146752

हर प्रकार से परिपालन सुनिश्चित करना ही इस न्यास का प्रमुख कार्य व उद्देश्य होगा, अतः प्रमुख **न्यासी/अध्यक्ष/निष्पादी– मंशाराम सिंह** द्वारा इस न्यास पत्रक को दिनांक 15.10.2016 को निष्पादित किया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

दिनांक : 15.10.2016

हस्ताक्षर निष्पादी

मसविदाकर्ता–

गवाहान– 1. रमेन्द्र मोहन मिश्र S/o स्व ठाकुर प्रसाद मिश्र
रामानन्द नगर बेगमपुरा
अयोध्या – फैजाबाद
9889446085

2. विनय कुमार पाण्डेय S/o सुरेश चन्द्र पाण्डेय
सर्वेश्वरी नगर [illegible] नाका, फैजाबाद

IV 92/2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

मुख्य कोषाधिकारी अयोध्या (49)

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EW 508184

पूरक ट्रस्ट विलेख पत्र

न्यास का नाम– ''श्री राम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट''

न्यास का प्रधान कार्यालय– म.नं. 5/3/17, मो. तुलसीनगर कालोनी–बेगमपुरा, शहर–अयोध्या, जिला–अयोध्या

न्यास का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारतवर्ष

यह कि मैं मंशाराम सिंह पुत्र स्व. श्रीराम सिंह उम्र 64 वर्ष निवासी म.नं. 5/3/17, मो. तुलसीनगर कालोनी, बेगमपुरा शहर अयोध्या जनपद अयोध्या (उ.प्र.) ''श्रीराम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट'' तुलसीनगर अयोध्या जिला–अयोध्या का प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष हूँ। श्रीराम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट जिसका निष्पादन तिथि 15.10.2016 है। जिसमें ट्रस्ट विलेख का निबन्धन दिनांक 15.10.2016 को बही सं. 04 जिल्द सं. 417, पृष्ठ सं. 01 से 30 पर क्रमांक सं. 206 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है, जो वर्तमान में क्रियाशील है। समय के

Contd....2/-

मंशाराम सिंह

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मुख्य कोषाधिकारी
0 9 DEC 2019
अयोध्या (उ0प्र0)

EW 508185

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

साथ आये परिवर्तनों एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का ट्रस्ट में समावेश किया जाना तथा रजिस्ट्रीकृत किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में **श्रीराम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट के पूरक विलेख** का निष्पादन किया जाना आवश्यक है। उक्त वर्णित ट्रस्ट विलेख के निम्नलिखित तथ्यों को पूरक ट्रस्ट विलेख पत्र के रूप में लिपिबद्ध किया गया है–

न्यास (ट्रस्ट) के उद्देश्य एवं प्रयोजन

(1) **ट्रस्ट का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है अर्थात् यह अलाभकारी संस्था है।**

(2) बिना लिंग भेद किये सबके लिए प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कॉलेज, महाविद्यालय, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाआश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्र, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स, उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों/विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

(3) कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि सुधार एवं कटाव रोक कर जल संस्था एवं नमी

Contd....3/-

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EW 508186

संरक्षण करना।

(4) प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।

(5) केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबार्ड, कपार्ट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

(6) व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजों, विधि महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, धर्मशाला या अन्य किसी भी प्रकार की संस्था को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।

(7) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं, व्यक्तियों, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, सरकारी संस्थाओं इत्यादि से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।

(8) ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।

(9) विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय

Contd....4/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रू. 100

ONE HUNDRED RUPEES

कोषागार अयोध्या 16 DEC 2019

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EW 510702

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सहायता, स्मृति चिह्न आदि प्रदान कर सकना।

(10) विभिन्न संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।

(11) ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा, बल्कि जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(12) शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलों का निर्माण करना।

(13) ट्रस्ट द्वारा पैरामेडिकल, मेडिकल चिकित्सालय, डेण्टल कॉलेज, आयर्वुदिक कॉलेज, फार्मेसी संस्थान, नर्सिंग, आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, इन्जीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेण्ट कॉलेज, अल्पसंख्यक विद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, आवासीय विद्यालयों, बी.टी.सी., बी.एड्., शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, टेक्निकल कॉलेजों, अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय को खोलना एवं संचालित करना, उसका संचालन एवं प्रबन्ध करना।

(14) ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक/युवतियों एवं बालक/बालिकाओं के लिए

Contd....5/-

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये
Rs. 100
ONE HUNDRED RUPEES
रु. 100
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
EW 510703
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

खेलकूद, व्यायामशाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

(15) ट्रस्ट द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के लिए, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करना तथा अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता प्राप्त करना एवं संचालित करना।

न्यास द्वारा संचालित विद्यालयों/संस्थाओं के बैंक एकाउण्ट–

श्रीराम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट के अन्तर्गत भविष्य में संचालित किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का ट्रस्ट के अतिरिक्त पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के प्रमुख न्यासी/अध्यक्ष तथा मन्त्री/प्रबन्धक द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है।

ट्रस्ट द्वारा अन्य संस्थाओं का संचालन–

इस ट्रस्ट के द्वारा भविष्य में संचालित विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम, उपनियम एवं प्रबन्ध समिति बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट श्रीराम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट के

Contd....6/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

कोषागार अयोध्या 15 DEC 2018

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH EW 510704

उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो वह नियम उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

शासनादेश संख्या– 1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रस्तर–3 में व्यवस्था दी गयी है कि ''सी.बी.एस.ई. एवं आई.सी.एस.ई. के बाइलाज में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने का प्राविधान है।

''शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रदेश स्थित 'सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के लिए अनापत्ति प्रदान किये जाने की सामान्य शर्तें निर्धारित की गयी हैं। शासनादेश के प्रस्तर–5 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने हेतु संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट बाइलाज में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का समावेश किया जाना अनिवार्य है। अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति भेजते समय संस्थाओं द्वारा इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि सम्बन्धित संस्था सोसाइटी/ट्रस्ट नियमावली में उक्त शासनादेश द्वारा निर्धारित शर्तों को समाविष्ट किये जाने के लिए प्रबन्ध तन्त्र की सहमति से विधिवत् प्रस्ताव पारित किया गया है।'' संस्था द्वारा सोसाइटी/ट्रस्ट के नियमावली में शर्तों को समाविष्ट किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार

Contd....7/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार अयोध्या

16 DEC 2019

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 510705

द्वारा संस्था को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है, जिसमें संस्था द्वारा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/परिवर्धन एवं संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के क्रम में ट्रस्ट के नियमावली में शासनादेश द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तें जोड़ी जा रही हैं–

निर्धारित शर्तें–

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी/ट्रस्ट का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल

Contd....8/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

कोषागार अयोध्या 16 DEC 2019

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

EW 510706

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

ज्ञात हो कि उपरोक्त वर्णित सभी तथ्य ''श्रीराम एजूकेशनल एवं चैरिटेबुल ट्रस्ट के मूल ट्रस्ट विलेख जिसका निबन्धन दिनांक 15.10.2016 करे बही सं. 04, जिल्द संख्या 417 पृष्ठ सं. 01 से 30 पर क्रमांक 206 पर रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज में पूरक विलेख के रूप में रहेगा

Contd....9/-

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EW 510707

(9)

तथा ट्रस्ट का मूल विलेख क्रमांक सं. 206 पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा तथा वर्तमान में कोई भी अचल सम्पत्ति इस न्यास में निहित नहीं है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष/निष्पादी

गवाह–1

उत्कर्ष
पुत्र श्री मंशाराम सिंह
5/3/17 तुलसी नगर नई कालोनी
अयोध्या – जिला अयोध्या
मोबाइल नं०- 8808206901

गवाह–2

रमेन्द्रमोहन मिश्र
पुत्र स्व० श्री ठाकुर प्रसाद मिश्र
रामानन्द नगर, बेगमपुरा
अयोध्या – जिला अयोध्या
मोबाइल नं०- 9889446085

दस्तावेज लेखक का नाम-पूनम कुमार गुप्ता
अनुज्ञप्ति सं०-04 दिनांक 31/3/21
तक विद्यमान जिला और न्याय पर निबन्धन